**संख्या- /2017/2107/24-1-17-1767/2017**

प्रेषक:

**आलोक कुमार,**
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**प्रबन्ध निदेशक**,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

**ऊर्जा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2017**

विषय:- विद्युत क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विद्युत चोरी की रोकथाम किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विद्युत चोरी की रोकथाम किये जाने के सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि प्रोत्साहन योजना को दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 से लागू किया जायेगा एवं प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन निम्नवत किया जाय:-

(i) वित्तीय वर्ष में अर्जित होने वाली सम्पूर्ण शमन शुल्क की धनराशि जो राजकीय कोष में जमा की जाती है, का 20 प्रतिशत की व्यवस्था अग्रेत्तर वित्तीय वर्ष में ऊर्जा विभाग के बजट के माध्यम से की जायेगी, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के माध्यम से सतर्कता इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) प्रवर्तन दल के कार्यवाही के फलस्वरूप शमन शुल्क के रूप में जमा होने वाली धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत प्रवर्तन दल अथवा चोरी के रोकथाम के लिए गठित विशेष दल के सदस्यों को दिया जायेगा। किसी एक प्रकरण में प्रोत्साहन राशि अधिकतम सीमा रूपये 50,000/- तक देय होगी। वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण यू0पी0पी0सी0एल0 के निदेशक मण्डल द्वारा किया जायेगा।

(iii) किसी भी विद्युत चोरी के प्रकरण में निर्धारित राजस्व को जमा कराने के उपरान्त ही प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।

(iv) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की सतर्कता इकाई द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि प्रवर्तन दल की कार्यवाही के आधार पर की जायेगी एवं इसी धनराशि में से प्रवर्तन दल की स्थापना, पर्यवेक्षण में कार्यरत कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी को भी वितरित किया जायेगा।

(v) ऐसे प्रकरण की कार्यवाही जो किसी मुखबिर की सूचना पर आधारित हो, उसमें निम्न तालिका के अनुसार मुखबिर को प्रोत्साहन के रूप में धनराशि देय होगी:-

| क्रम सं0 | शमन शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रूपये में) | मुखबिर को प्रोत्साहन धनराशि के रूपये में देय |
|---|---|---|
| 1 | 19,999 | - |
| 2 | 20,000 से 4,99,999 | शमन शुल्क का 10 प्रतिशत अधिकतम |
| 3 | 5,00,000 या अधिक | रूपये 50,000 |

http://shasanadesh.up.nic.in

(Vi) प्रवर्तन दल अथवा अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को मुखबिर की श्रेणी में नहीं माना जायेगा।

(Vii) मुखबिर का नाम एवं उसके संबंध में सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जायेगी।

(Viii) मुखबिर की सूचना पर विद्युत चोरी पकड़े जाने पर संबंधित प्रवर्तन दल इसकी लिखित सूचना कार्यक्षेत्र के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में देंगे। अपर पुलिस अधीक्षक ऐसे प्रकरणों से संबंधित मुखबिर से संबंधित सूचना परम गोपनीय पुस्तिका में अंक्ति करते हुए अपनी निजी अभिरक्षा में रखेंगे।

(iX) अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह के अंत तक मुखबिरों को वितरित की जाने वाली धनराशि की मांग सतर्कता मुख्यालय से पत्र के माध्यम से करेंगे एवं गत माह की वितरित की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न कर भेजेंगे। उनके द्वारा इस प्रकार के पत्राचार में मुखबिर से संबंधित सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

(X) सतर्कता मुख्यालय में नियुक्त अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचना पर की गयी कार्यवाही में मुखबिर को उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार धनराशि देय होगी। मुखबिर के संबंध में सूचना पुलिस अधीक्षक (प्र0) द्वारा परम गोपनीय पुस्तिका में अंकित करते हुए अपनी निजी अभिरक्षा में रखी जायेगी।

(Xi) पुलिस अधीक्षक (प्र0) प्रत्येक माह के अंत मुखबिर को वितरित की जाने वाली धनराशि की मांग सतर्कता मुख्यालय से पत्र के माध्यम से करेंगे एवं गत माह की वितरित की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न कर भेजेंगे। उनके द्वारा इस प्रकार के पत्राचार में मुखबिर से संबंधित सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

(Xii) सम्पूर्ण बजट का रख-रखाव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) के अनुरोध पर यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(Xiii) विद्युत विभाग में सन्दर्भित प्रकरण में राजस्व निर्धारण व उसकी धनराशि जमा किये जाने के संबंध में अभिलेखीय प्रमाण सहित व मुखबिर के सम्बंध में विस्तृत विवरण सतर्कता मुख्यालय में उपलब्ध करायेगें।

(XiV) मुखबिर को दी जाने वाली धनराशि पुलिस अधीक्षक (प्र0) अथवा संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं दी जायेगी एवं प्रत्येक माह में दी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपर पुलिस अधीक्षक सतर्कता के कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

2- कृपया प्रकरण में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**आलोक कुमार**
**प्रमुख सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्याः-  /2017/2107/24-1-17-1767/2017 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत।

**आज्ञा से,**

**इन्द्रराज सिंह**
**संयुक्त सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in